

कार्यालय अंचल अधिकारी, करी।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं०-.....437...../2016

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">26.11.2020</p>	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०नि०-119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा०, दिनांक:-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरनजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जनाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा <u>मुँदरा</u> थाना नं० <u>22</u> खाता नं० <u>9+10+11</u> खेसरा नं० <u>—</u> रकबा <u>42.10 1/2</u> एकड़ की भूमि जो गैरनजरूआ खास अनावार बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जनाबंदी उस मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या.....के पृष्ठ संख्या <u>27</u> पर जनाबंदी रैयत <u>रामलाल</u> <u>सिंह वंश</u> पिता/पति..... के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जनाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जनाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनाना के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाम एवं राज्य का क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जनाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जनाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जनाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुरोधित किया जाय। अभिलेख दिनांक <u>04/12/20</u> को रखें।</p>	<p>की गई कार्रवाई की टिप्पणी</p>
	<p>अंचल अधिकारी</p>	

आदेश का कमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
--------------------	---------------------------------	---------------------------


05.12.2020


अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत रामलखन सिंह वगै० के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में सरकारी लगान रसीद सं० 5032460 वर्ष 2012-13 एवं Form-m (Rent Shedule) की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है , जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा लुदरू, थाना नं० 72 के सर्वे खतियान में खाता सं० 9,10 एवं 11 रकबा 47.10 1/2 एकड़ भूमि गैरमजुरूआ खास दर्ज है।

राजस्व मांग पंजी II के पृष्ठ सं० 27 खाता सं० 9,10 एवं 11 कुल रकबा 47.10 1/2 एकड़ रामलखन सिंह वगै० के नाम से दर्ज है। पंजी II में प्रथम लगान रसीद वर्ष 1990-1991 एवं अन्तिम लगान रसीद 2012-13 कटा दर्ज है। Form-M (Rent Shedule) में खाता सं० 9,10, एवं 11 कुल रकबा 47.10 1/2 एकड़ भूमि रामलखन सिंह वगै० के नाम से दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर संबंधित पक्ष का दखल-कब्जा है। पंजी II रैयत कृषि कार्य करते आ रहे हैं।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा खाता सं० 9,10 एवं 11 कुल रकबा 47.10 1/2 एकड़ भूमि की जमाबंदी को नियमितिकरण करने का अनुशंसा किया गया है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर इस वाद की कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाती है।

लेखापित संशोधित।

 अंचल अधिकारी
 कर्रा।


 अंचल अधिकारी
 कर्रा।